न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 514/2017

1. राकेश पुत्र रामकुमार ज्याणी जाति जाट निवासी 2 सी पी.ओ. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री विजेन्द्र घिंटाला अधिवक्ता — — प्रार्थी

– :: निर्णय ::– दिनांक :–15.01.2017

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम चक 12 एल एल पटवार हल्का ततारसर भू–अभिलेख निरीक्षक चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/10 के मु.नं. 25 के किला नं. 1 में 0.152 हैं किला नं. 2 ता 5 सालम मु.नं. 26 में किला नं. 1 ता 25 सालम कुल 7.489 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम से 5.971 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का नाम सहवन से भूल से राजस्व रिकार्ड में राकेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार ज्याणी कर रखा है परन्तु प्रार्थी को राकेश नाम से ही जाना जाता है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर अपना नाम राकेश कुमार के स्थान पर राकेश लिखवाना चाहता है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में कुमार शब्द को हटवाना चाहता है प्रार्थी का नाम शेष सभी दस्तावेजों में राकेश ही लिखा हुआ है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित आया अप्रार्थी द्वारा लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाता संख्या 12/10 के मु.नं. 25 के किला नं. 1 में 0.152 हैक्टेयर किला नं. 2 ता 5 सालम मु.नं. 216 में किला नं. 1 ता 25 सालम कुल 7.489 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रार्थी के नाम से 5.971 हैक्टेयर रकबा राकेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार ज्याणी सा. 2 सी छोटी खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र, अंक तालिका, लाइसेंस, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम राकेश है प्रार्थी जमाबंदी में अपना नाम दस्तावेजों अनुसार राकेशकुमार की जगह राकेश करवाना चाहता है।

राज पैरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

— :: आदेश ::—

प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी यह साबित नहीं कर पाये कि जो पुरानी जमाबंदी में नाम चलता आ रहा है वह गलत दर्ज किया गया है और ना ही यह साबित कर पाये कि जमाबंदी में नाम राकेशकुमार लिपिकीय त्रुटि के कारण दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित हो। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट में प्रस्तुत किया गया है जबकि जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत दर्ज होना सिद्ध नहीं होता। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर